... जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

पाठसीन अधिकारी श्री कलैश चन्द्र गुर्जर

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 03/2020

1– राजेश पिता बंशीलला जाति कलाल निवासी बेगूँ
2–चन्द्रशेखर पिता बंशीलला जाति कलाल निवासी बेगूँ
3– गीबाई पुत्री बंशीलाल कलाल नि0 बेगूँ हा0मु0 पति धीसालाल मेवाडा निवासी देदिया तह0 बेगूँ
4– गोविन्दाबाई पुत्री बंशीलाल जाति कलाल नि0 बेगूँ हा0मु0 पति शंकरलाल मेवाडा निवासी सारण पो0 बस्सी तह0 एवं जिला चितौडगढ़
5–सोहनीबाई पति बंशीलाल कलाल निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1– कैलाशचन्द्र पिता बंशीलाल जी कलाल निवासी आखरियों का चौक,बेगूँ तह0बेगूँ

विपक्षी

उपस्थित ::– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक::–12.09.2023

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा ने वाद पत्र के साथ साथ एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बेगूँ की खतौनी संख्या 978 में आराजी संख्या 1285 रकबा 0.2900 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी के संयुक्त सहखातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है। उक्त आराजी भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण एवं विपक्षी का 1/7–1/7 हक हिस्सा निहित है एवं हिस्सानुसार ही सभी प्रार्थीगण एंव विपक्षी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वर्णित भूमि का एक हिस्सेदार सुरेश पिता बंशीलाल कलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के अलावा कोई वारिसान नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में भी प्रार्थीगण एवं विपक्षी के हिस्से विभाजन मौखिक रूप से कर दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्राथ्रीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि विपक्षी के मन में बदनियती आ जाने से वह अपने हक हिस्से से अधिक की भूमि पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 10.12.2019 को प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को भी हांकने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने मना किया तो विपक्षी झगडा करने पर उतारू हो गया तथा कहने लगा कि उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित समस्त भूमि को मै अपने कब्जे में करूंगा एवं तुम लोगो द्वारा बो रखी गेहूँ की फसल को भी मैं हकवा दूंगा एवं तुम लोगो को भी खेत पर नहीं आने दूगा।विपक्षी प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक अपनी जमीन के उपयोग की भूमि में धमकिया देने लगा एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने लगा जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि विपक्षी को प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में जबरन कब्जे करने का अधिकार नहीं है, आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि एवं प्रार्थीगण अपने निहित हक हिस्से की भूमि पर कब्जा कर काबिज कर रहे हे। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि विपक्षी द्वारा धमकियों के अनुसार हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर दिया गया तो हम प्रार्थीगण अपने हिस्से के उपयोग उपभोग से वच्छित रह जावेगें प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावं िकवह वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 1285 रकबा 0.2900 हैक्टर ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] किया गया, विपक्षी की ओर से मूल वाद पत्र में अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए है, इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन अपने जवाब में इस प्रकार किया गया कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात होना स्वीकार है कृषि आराजीयात संयुक्त आराजी होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी का 1/7–1/7 हक हिस्सा निहित है तथा इसी हक हिस्सानुसार हम काबिज होकर काश्त कर रहे है, प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कपोल कल्पित तथ्य अंकित किये है, दिनांक 10.12. 2019 को न तो विपक्षी ने प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन को हांका एवं न ही कोई लडाई झगडा किया है एवं न ही कोई धमकियां ही संपूर्ण भूमि हथियानें की दी वरन प्रार्थीगण विपक्षी को उनके निहित हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं शांतिपूर्वक काश्त भी नहीं करने दे रहे है व आये दिन प्रार्थीगण विपक्षी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है एवं प्रार्थीगण विपक्षी को उसके निहित हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करने से रोकना चाहते है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है, जबकि किसी भी सहखातेदार को उसके निहित हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने से किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पबांद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण यदि मुझ विपक्षी को अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा देगें तो विपक्षी को भारी क्षति होगी एवं विपक्षी का परिवार के सदस्य भूखे मर जायेगें।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खाजिर फरमाया जावें।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राज0काश्त0 अधि0 पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब अनुसार निवेदन की गई। प्रकरण में बहस सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी एवं नक्शाट्रेस का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु तीन मुख्य पर निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– प्रथम दृष्टया मामला::–

प्रस्तुत जमाबंदी मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 1285 रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी की संयुक्त कृषि आराजीयात है उक्त आराजीयात अविभाजित आराजीयात है, इस कृषि आराजीयात के विभाजन एवं घोषणा हेतु प्रार्थीगण द्वारा दावा इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है, सहखातेदार सुरेश की मृत्यु होना दोनो ही पक्षो ने स्वीकार किया है, वर्णित आराजीयात में 1/7–1/7 प्रत्येक प्रार्थीगण एवं विपक्षी का होना दर्शाया गया है, न्याय के प्राकृति सिद्धान्त अनुसार किसी भी सहखातेदार को उसके निहित हक हिस्से पर काबिज होने से कृषि कार्य किये जाने हेतु रोका नहीं जा सकता है,किन्तु जहॉ तक प्रश्नगत भूमि का प्रश्न है उसमें मृतक सुरेश का हिस्सा भी नियमानुसार सभी में विभक्त होना है, तथा विपक्षी जब तक मूल वाद का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक वह अपने हक हिस्से के अलावा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। विपक्षी को अपने हिस्से पर काबिज रखने प्रार्थीगण के कब्जे हिस्से में दखलन्दाजी करने से विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकार प्रार्थीगण मूलवाद के निस्तारण तक रखने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार प्रथम् दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

2– सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति ::–

प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात अविभाजित कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी का हक हिस्सा 1/7–1/7 होकर इसी हक हिस्सानुसार सभी काबिज होकर काश्त कर रहे है, विपक्षी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या कथन प्रार्थना पत्र पर अंकित किये है विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का कोई जबरन कब्जा नहीं किया जा रहा है ना ही दिनांक 10.12.2019 को किसी प्रकार की धमकी दी गई, हमारी विनम्र राय से सभी सहखातेदारान को जबतक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक अपने अपने हक हिस्से पर ही काबिज रहना चाहिये, चूँकि प्रार्थीगण द्वारा विभाजन हेतु वाद पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। मूल वाद के निस्तारण न्यायालय द्वारा जबकि नहीं किया जाता है तब तक विपक्षी अपने हक हिस्से पर ही काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:33 IST
Reason: SelfAttested

र काश्त करें तथा प्रार्थीगण भी अपने निहित हक हिस्से पर ही काबिज रहे। यदि विपक्षी मन में अधिक हिस्से पर काबिज होने की बदनियती आ जाती है और वह ऐसा कर र्थीगण की आराजी में कब्जा करते है तो निश्चित ही प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होती है, तथा प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा न्यायालय मे प्रस्तुत करना ही व्यथ हो जायेगा। इस प्रकार सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष होकर प्रकरण में विपक्षी द्वारा कब्जा जबरन यदि किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होती है।

उपरोक्त निस्तारित तीनों बिन्दुओं के अनुसार हम विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अ0धा0 212 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है, विपक्षी को मूल वाद पत्र निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 1285 रकबा 0.29200 हैक्टर भूमि जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है पर अपने हिस्से पर ही काबिज रहकर काश्त करें, प्रार्थीगण के निहित हक हिस्से पर जबरन दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अपने नौकर एजेन्ट आदि से करावें प्रार्थीगण के शातिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें न करावें।

आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:33 IST
Reason: SelfAttested